



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092021-229352
CG-DL-E-01092021-229352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2021/भाद्र 10, 1943

No. 494]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021/BHADRA 10, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त 2021

सा.का.नि. 608(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कतिपय प्रारूप नियमों का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111(अ), तारीख 10 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना, 10 फरवरी, 2021 अर्थात् वह तारीख जिस दिन उक्त गजट सरकारी गजट में प्रकाशित की गई, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से उक्त अवधि में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में (जिसे इससे पश्चात मूल नियम कहा गया है), नियम 2 में,
 - (i) खण्ड (ण) में, उप खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

‘(v) सरकारी संगठन या केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, उस संगठन या उपक्रम द्वारा लिखित रूप में नामित कोई अधिकारी।’
 - (ii) खण्ड (ध) का लोप किया जाएगा,
 - (iii) खण्ड (न) में, कोष्ठक और अक्षर (न) के स्थान पर कोष्ठक और अक्षर (ध) रखा जाएगा।
3. मूल नियम में, नियम 3 में, उप-नियम (1) में “नौभरण” शब्द का लोप किया जाएगा।
4. मूल नियम में, नियम 4 में, “नौभरण” शब्द का लोप किया जाएगा।
5. मूल नियम में, नियम 6 में, उप-नियम (3) में, “नौभरण” शब्द का लोप किया जाएगा।
6. मूल नियम में, नियम 11 में, उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(5) अमोनियम नाइट्रेट भंडारण और हैंडलिंग परिसर में एनएफपीए 490 के अनुसार पर्याप्त अग्निशमन सुविधा प्रदान की जाएगी।”
7. मूल नियम में, नियम 12 में,-
 - (क) उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(1क) एक भण्डार गृह के लिए अनुज्ञप्तिधारी, निर्माण संयंत्रों से जुड़े भण्डार गृह को छोड़कर, भण्डार गृह से कम से कम तीस मीटर की दूरी पर भण्डार गृह के पास झूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड के लिए एक आश्रय प्रदान करेगा”;
 - (ख) उप नियम (6) के लिए निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(6) अमोनियम नाइट्रेट को विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए प्रयुक्त भण्डार गृह का फर्श क्षेत्रफल 2.5 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट के लिए एक 2.5 मीट्रिक टन प्रतिवर्ग मीटर से कम नहीं होगा और भण्डार गृह की कुल धारण क्षमता 5000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी;

परंतु पेटीबंद अमोनियम नाइट्रेट का एक ढेर 500 मीट्रिक टन से अधिक कानहीं होगा और समीपवर्ती ढेरों के बीच न्यूनतम 2 मीटर का फासला रखा जाएगा और ढेरों तथा भण्डार गृह की दीवारों के बीच कम से कम 0.6 मीटर चौड़ा मार्ग बनाए रखा जाएगा;

परंतु और यह कि ढेर की अधिकतम ऊंचाई ज़मीनी स्तर से 4.0 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसे भण्डार गृह की दीवारों पर मोटे अक्षरों में चिह्नांकित किया जाएगा”;
8. मूल नियम में, नियम 18 में,-
 - (क) उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

“(1) आयातक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का आयात केवल पेटीबंद रूप में और केवल बंद रूप में खपत के लिए किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो आयातक उपयुक्त पैकिंग के लिए प्ररूप पी2 में वैध अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी को अधिकृत करेगा”;
 - (ख) उप नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

“(2) पी2 अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त किए गए और प्रत्येक प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट का अभिलेख रखेगा ताकि जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर और विवरणी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आयातक को प्राप्त और भेजे गए अमोनियम नाइट्रेट के रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकें”;

(ग) उप-नियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

“(3) आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट को तत्काल पत्तन से निकालकर पत्तन अधिसूचित क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित प्ररूप पी 2 में अनुज्ञप्त भंडार गृह में ले जाया जाएगा और अनुज्ञप्त भंडार गृह से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण केवल पेटीबंद रूप में किया जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट की प्रत्येक पेटी को नियम 9 के अनुसार चिह्नांकित किया जाएगा।”

9. मूल नियम के, नियम 22 में,-

(क) उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(1) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित यान में ऐसे चालकों या क्लीनरों को रखा जाएगा जिनके पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे चालकों और क्लीनरों के पूर्ण वैयक्तिक ब्यौरे सहित एक सूची पुलिस स्टेशन को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे चालकों और क्लीनरों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, पाँच वर्ष में एक बार, किया जाएगा।”

(ख) उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(2) अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाले यान के साथ कम से कम एक सक्षम अंगरक्षक होना चाहिए।

10. मूल नियम के, नियम 27 के, उप-नियम (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(ङ) अमोनियम नाइट्रेट के उसी अधिभोगी के एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरण के लिए, प्ररूप पी 3 (कब्जे और उपयोग के लिए) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है।”

11. मूल नियम में, नियम 29 के, उप नियम (1) में,-

(i) खण्ड (छ) में, “नौभरण” शब्द का लोप किया जाएगा।

(ii) खण्ड (ज) का लोप किया जाएगा।

12. मूल नियम के, नियम 34 में,-

(क) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

“(4) यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक, तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र जाँच पूरी करेगा और ऐसा प्राधिकारी अपना समाधान कर लेने के बाद अनुसूची-2 के भाग-4 के प्ररूप ग-2 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और इसके साथ ऐसे प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगा साइट प्लान होगा।”

(ख) उप-नियम (6) के लिए, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्;

“(6) यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक, अनापत्ति प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, प्रदान करने से अपने इंकार की सूचना लिखित में उसके कारणों के साथ यथाशक्य, शीघ्र देगा, किंतु आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर आवेदक को देगा।”

13. मूल नियम में, नियम 47 के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

“47. जहाँ इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति या उसकी प्रमाणित प्रति खो जाती है या दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाती है, वहाँ सिस्टम जनरेटेड कॉपी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।”

14. मूल नियम के, नियम 50 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“(घ)(i) इस उप-नियम में किसी भी बात के होते हुए, सारणी में अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी छह महीने में एक बार अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित अनुज्ञप्तपरिसर का निरीक्षण करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अधिनियम या नियम का कोई उल्लंघन हुआ है।

'(ii)' इस तरह के निरीक्षण के दौरान नियम 12(1) के उपनियम (1) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंडार गृह में उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों की पर्याप्तता के संबंध में आकलन भी किया जाएगा और इस तरह के निरीक्षण की एक रिपोर्ट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी और एक प्रति अनुज्ञापनप्राधिकारी को भेजी जाएगी।"

15. मूल नियम के, नियम 51 में, उप-नियम (2) में, "नष्ट कर सकता है" शब्दों के स्थान पर "नीलामी करने या नष्ट करने की अनुमति दे सकता है" शब्दों को रखा जाएगा।

16. मूल नियम में, अनुसूची 1 में, तालिका में, अनुक्रमांक 2 में, स्तंभ 2 में, "नौभरण" शब्द का लोप किया जाएगा।

17. मूल नियम में, अनुसूची 2 में,-

(क) भाग 1 में, सारणी में, प्ररूप क-2 में, स्तंभ 2 में, "के नौभरण" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ख) भाग 2 में, सारणी में, प्ररूप त-2 में, स्तंभ 2 में, "के नौभरण" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ग) भाग 3 में, सारणी में, प्ररूप द-5 में, स्तंभ 2 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"त-2 अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते के लिए प्ररूप - प्राप्त और भेजे गए अमोनियम नाइट्रेट का खाता।"

(घ) भाग 4 में,

(i) प्ररूप क-2 के लिए, निम्नलिखित प्ररूप क-2 रखा जाएगा, अर्थात्:-

फार्म क-2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1, नियम 33, 35 और 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के पेटी बंद और भण्डारण के अनुज्ञप्ति हेतु अनुमोदन

या अनुदानया संशोधन के लिए आवेदन

कृपया हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपकाए

प्रयोजन (कृपया टिक करें) : अनुमोदन..... अनुदान संशोधन

1. आवेदक के प्रकार (कोई एक टिक करें) : व्यक्तिगत कंपनी भागीदारी फर्म सोसायटी सांपत्ति कर्म

2. आवेदक का विवरण:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्तिकी मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में) ----- (ग) यदिव्यष्टि, तो आयु----- आधार संख्या-----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य -----पिन कोड-----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे/ गट सं./खसरा सं.----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

पुलिस स्टेशन ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्ति के विवरण दें और यदि अपेक्षित हो पृथक शीट संलग्न करें)

5. पेटीबंद किए जाने हेतु प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट का विवरण:

पेटीबंद किए जाने हेतु प्रस्तावित मात्रा प्रतिदिन (मीट्रिक टन में)	वार्षिक अधिष्ठापन क्षमता (मीट्रिक टन में)	कब्जे हेतु प्रस्तावित प्रपुंज भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन में)	पेटीबंद अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण हेतु संलग्न भंडारगृहों की प्रस्तावित क्षमता (मीट्रिक टन में)

6. प्रस्तावित संशोधन का विवरण या अतिरिक्त जानकारी-----

7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का विवरण, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नहीं....

यदि हाँ, तो जानकारी दें -----

8. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां..... नहीं....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे -----

9. शुल्क विवरण.....

10. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएं।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटोग्राफ की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से इस्तेमाल और उनका दुरुपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

(ख) अनुज्ञप्ति प्ररूप त-2 में,-

(i) शीर्षक में, “नौभरण,” शब्द का लोप किया जाएगा।

(ii) अनुक्रमांक 3 और 4 में, “नौभरण” शब्द का लोप किया जाएगा।

(iii) शर्त (4) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(4) अनुज्ञप्तिधारी एवं पेटी बंद और भण्डारण के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को पेटी बंद और भण्डारण परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा पेटी बंद और भण्डारण परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो पेटी बंद और भण्डारण परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हो।”

[फा. सं. पी-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

टिप्पण: भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553(अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) तारीख 9 जुलाई, 2013 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 938(अ) तारीख 27 सितंबर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

G.S.R. 608(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules 2012 were published as required by section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 111 (E), dated the 10th February, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 10th February, 2021 i.e. the date on which the said Gazette was published in the official Gazette;

And, whereas, objections and suggestion as received from the public with in the said period have been dully considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ammonium Nitrate, Rules, 2012, namely:-

1. Short titled and commencement:-

(1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-

(i) in clause (o), after the sub- clause (iv) and before the long line, the following shall be inserted, namely:-

‘(v) Government organisation or Central or State Public Sector Undertaking, any officer nominated in writing by that organisation or undertaking.’;

(ii) clause (s) shall be omitted;

(iii) in clause (t), for the brackets and letter “(t)”, the brackets and letter “(s)” shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (1), the word "stevedoring" shall be omitted.

4. In the principal rules, in rule 4, the words "stevedoring" shall be omitted.

5. In the principal rules, in rule 6, in sub-rule (3), the word "stevedoring" shall be omitted.

6. In the principal rules, in rule 11, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Adequate fire fighting facility as per NFPA 490 shall be provided at ammonium nitrate storage and handling premises.”

7. In the principal rules, in rule 12,-

(A) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1a) The licensee for a store house shall provide a shelter for the security guard(s) on duty near the store house at a suitable location not less than thirty metres away from the store house except for store house attached to manufacturing plants”;

(B) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(6) Any store house used for possession for sale or possession for use of Ammonium Nitrate shall have a floor area not less than one square meter per 2.5 MT of Ammonium Nitrate and the store house holding capacity shall not exceed 5000 MT storage:

Provided that one stack of bagged Ammonium Nitrate shall not exceed 500 MT and a minimum clearance of 2 meters shall be maintained between the adjacent stacks and at least 0.6 meters wide gangway shall be maintained between the stacks and the walls of the store house:

Provided further that the maximum stack height shall not exceed 4.0 meters from the floor level and the same shall be prominently marked on the walls of the store house.”;

(C) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6 A) on and from the commencement of the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2021, all flooring in ammonium nitrate storage and handling area shall be without open drains, traps, pits or pocket into which any molten ammonium nitrate is able to flow and be confined in the event of fire and the Ammonium Nitrate storage sheds licensed prior to publication of Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2021 shall adopt the same within one year from the date of publication of that Rules.”

8. In the principal rules, in rule 18, -

‘(A)’ for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Ammonium Nitrate shall be imported by the importer only in bagged form and for captive consumption only and the importer shall authorize licensee having valid licence in Form P2 for suitable packing if required.”;

(B) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The P2 Licensee shall maintain records of Ammonium Nitrate received and dispatched to each importer to ensure accountability, identification and traceability and file returns.”;

(C) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) The imported Ammonium Nitrate shall be immediately removed from the port to the licensed storehouse in form P2 situated beyond 500 meters from the port notified area and the Ammonium Nitrate shall be dispatched from the licensed storehouse only in bagged form and each bag of Ammonium Nitrate shall be marked in accordance with rule 9”.

9. In the principal rules, in rule 22,-

(A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1) The vehicle engaged in the transport of Ammonium Nitrate, shall be attended by such drivers or cleaners whose antecedents are verified by the police and a list of such drivers and cleaners along with all personal particulars shall be made available to the police station in advance to carry out the verification and the reverification of such drivers or cleaners shall be carried out at regular intervals, once in every five years.”;

(B) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) The vehicle carrying Ammonium Nitrate shall be accompanied by at least one able bodied guard”.

10. In the principal rules, in rule 27, in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) for transfer of the Ammonium Nitrate from one premise to another premise of the same occupier, a licensee under form P3 (for possession and Use) may do so with the prior permission of the Licensing Authority.”

11. In the principal rules, in rule 29, in sub-rule (1),-

(i) in clause (g), the word "stevedore" shall be omitted;

(ii) clause (j) shall be omitted.

12. In the principal rules, in rule 34,-

(A) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely: -

“(4) The District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, shall complete the enquiry as expeditiously as possible within a period of three months and such authority shall, after being satisfied, grant no objection certificate in Form C-2 of Part-4 of Schedule-II, along with site plan, duly signed and sealed by such authority.”;

(B) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted namely: -

“(6) The District Authority or the Director-General of Mines Safety, as the case may be, shall convey his refusal for granting no objection certificate or licence, as the case may be, with reasons thereof in writing to the applicant as expeditiously as possible but not later than a period of three months from the date of receipt of application from the applicant”.

13. In the principal rules, for rule 47, the following rule shall be substitute, namely:-

“47. Where a licence granted under these rules or an authenticated copy granted thereof, is lost or accidentally destroyed, system generated copy may be downloaded by the licensee from online portal of Petroleum and Explosives Safety Organisation.”

14. In the principal rules, in rule 50, in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

“(d) ‘(i)’ Notwithstanding anything contained in this sub-rule, the Executive Magistrates or Police Officers authorised in the table shall carry out inspection of the licensed premises located within their jurisdiction once in six months in order to ascertain if there has been any violation of the Act or the rules thereof.

‘(ii)’ An assessment regarding adequacy of security guards provided by the licensee at the store house as per sub-rule (1) of rule 12 shall also be made during such inspection and a report of such inspection shall be submitted to the concerned District Magistrate or Superintendent of Police or Commissioner of Police with a copy to the licensing authority.”.

15. In the principal rules, in rule 51, in the sub rule (2), for the words “shall destroy”, the words shall “allow to auction or destroy” shall be inserted.

16. In the principal rules, in SCHEDULE I, in the table, against serial no 2, in column 2, the word "stevedore" shall be omitted.

17. In the principal rules, in SCHEDULE II,-

(A) in Part -1, in the table, against Form No A-2, in column 2, the word "stevedore" shall be omitted;

(B) in Part 2, in the table, against Form No P-2, in column 2, the word "stevedore" shall be omitted;

(C) in Part 3, in the table, against Form No R-5, in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely: -

“Form for Account to be maintained by P-2 Licence holder – Account of Ammonium Nitrate bagged and dispatched.”

(D) in PART-4, -

(a) For the Forms A-2, the following Form A-2 shall be substituted, namely: -

“Form A-2

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OF LICENCE TO, BAG AND STORE AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent
passport size colour
photograph of occupier
with signature in front

Purpose (tick any one): Approval Grant Amendment

1. Type of applicant (tick any one): Individual Company
Partnership Firm Society Proprietary Firm

2. Applicant's details:

(a) Name in which licence is sought (see note below)- -----

(b) CIN No/Firm registration No. (in case of company/Firm) -----

(c) Age in case of individual-----Aadhaar No. -----

(d) Postal address -----City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No. with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey No./Gat No./Khasra No----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Details of Ammonium Nitrate proposed to be bagged:

Quantity proposed to be bagged per day (in MT)	Annual installed capacity (in MT)	Proposed bulk storage capacity for possession (in MT)	Proposed capacity of attached storehouse(s) for storage of bagged Ammonium Nitrate (in MT)

6. Details of amendment proposed or additional information-----

7.(a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last ten years. -----

(b) Was any licence cancelled or not renewed Yes No

If yes, give details-----

8. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years Yes No

(b) If yes, give details-----

9. Fee details-----

10. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorized person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.”;

(b) in LICENCE FORM P-2,-

(I) in heading, the word “STEVEDORE” shall be omitted;

(II) in serial number (3) and (4), the word “Stevedoring” shall be omitted;

(III) for condition (4), the following condition shall be substituted, namely:-

"(4) The licence holder and every person employed in or about the bag and store premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the bag and store premises and for preventing unauthorised person from having access to such premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the bag and store premises."

[F. No. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amended *vide* G.S.R. 469(E), dated the 9th July, 2013 and G.S.R. 938(E) dated the 27th September, 2018.